



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1106/UP/11/2022-ESDW

दिनांक: 13.01.2023

सेवा में,

श्री सुशांत गौरव
उपायुक्त,
जिला गुमला,
उपायुक्त का कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
गुमला -835207 (झारखंड)
ई मेल: dc-gum@nic.in

विषय: झारखंड राज्य की गोल्ड मेडल जीतने वाली आदिवासी प्रतिभाशाली युवती सुश्री आशा किरण बारला के घर में बिजली और जल की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में श्री रामजी म. महेश्वरी 'संजोट' राष्ट्रीय सचिव, विश्व मानव कल्याण परिषद, बैरक क्र. 1782 के पास, एम. आय.सेक्शन, रानसी वेलजी सिरोखा मार्ग, उल्हासनगर - 421005 महाराष्ट्र का दिनांक 25.10.2022 का अभ्यावेदन।


चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री रामजी म. महेश्वरी 'संजोट' से दिनांक 25.10.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री रामजी म. महेश्वरी 'संजोट'
राष्ट्रीय सचिव,
विश्व मानव कल्याण परिषद,
बैरक क्र. 1782 के पास, एम. आय.सेक्शन,
रानसी वेलजी सिरोखा मार्ग,
उल्हासनगर - 421005, (महाराष्ट्र)


(एच. आर. मीना)
(अनुसंधान अधिकारी)

157-18 %
ISSUED